

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 167 / 20-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

मसीह दास बाबा
तेलेस्फोर हेमरोम

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

21.10.20

आदेश

आवेदक मसीह दास बाबा पिता स्व० बगरिल बाबा ग्राम-पेलौल, बिचना, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी ने तेलेस्फोर हेमरोम पिता स्तानिसलास हेमरोम ग्राम-पेलौल, बिचना, पो०-बिचना, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	90	2141	0.12


आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0267712536 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 669 दिनांक 13.10.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मसीदास मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार तिन्तुस मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकबा 20.13 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.04 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ) रू० प्रति डिसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 4.92 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।


आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मसीह दास बाबा पिता स्व० बगरिल बाबा को तेलेस्फोर हेमरोम पिता स्तानिसलास हेमरोम के साथ ग्राम बिचना के खाता सं० 90 खेसरा संख्या 2141 कुल रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 14964.00(चौदह हजार नौ सौ चौसठ) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित


मसीह दास बाबा,
खूँटी।


मसीह दास बाबा,
खूँटी।